न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 338 / 2022
नवीन चन्द्र मिश्रा, 276, वार्ड नं0 8, बबाई, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं, पिन कोड 333501

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील।

आदेश

दिनांक 02.11.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 19.10.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 338 / 2022 पर दिनांक 19.10.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2022 / 5395—96 दिनांक 19.10.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16 (4)(5)न्याय / सू0अ0 / 22 / 1370 दिनांक 31.10.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी नवीन चन्द्र मिश्रा पुत्र विश्म्भर दयाल मिश्रा, निवासी बबाई, जिला झुंझुनूं का आवेदन पत्र आरटीआई पोर्टल पर 14.08.2022 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध मे कार्यालय के पत्र कमांक एफ 16 (4)(5)न्याय / सू0अ0 / 09 / 344 दिनांक 18.08.2022 के द्वारा प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग, कलेक्ट्रेट, झुंझुनूं को नियमानुसार प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाये जाने हेतु पत्र भिजवाया गया है। उक्त कम मे प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग, कलेक्ट्रेट, झुंझुनूं ने अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाते हुए अवगत करवाया कि आवेदन पत्र मे वर्णित बिन्दू सं0 1 लगायत 5 मे चाही गई सूचना प्रश्नात्मक है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रश्नात्मक बिन्दूओं के उत्तर दिये जाने का प्रावधान नही है। अतः आपको कार्यालय से संबंधित दस्तावेज की प्रति चाहिए तो पूर्ण विवरण मय पत्रांक व दिनांक के अंकित कर सूचना प्राप्त कर सकते है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित।
6. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16 (4)(5)न्याय / सू0अ0 / 22 / 1370 दिनांक 31.10.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी नवीन चन्द्र मिश्रा पुत्र विश्म्भर दयाल मिश्रा, निवासी बबाई, जिला झुंझुनूं का आवेदन पत्र आरटीआई पोर्टल पर 14.08.2022 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध मे कार्यालय के पत्र कमांक एफ 16 (4)(5)न्याय / सू0अ0 / 09 / 344 दिनांक 18.08.2022 के द्वारा प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग, कलेक्ट्रेट, झुंझुनूं को नियमानुसार प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाये जाने हेतु पत्र भिजवाया गया है। उक्त कम मे प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग, कलेक्ट्रेट, झुंझुनूं ने अपीलार्थी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.14 16:51:07 IST
Reason: SelfAttested

सूचना उपलब्ध करवाते हुए अवगत करवाया कि आवेदन पत्र मे वर्णित बिन्दू सं0 1 लगायत 5 मे चाही गई सूचना प्रश्नात्मक है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रश्नात्मक बिन्दूओं के उत्तर दिये जाने का प्रावधान नही है। अतः आपको कार्यालय से संबंधित दस्तावेज की प्रति चाहिए तो पूर्ण विवरण मय पत्रांक व दिनांक के अंकित कर सूचना प्राप्त कर सकते है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के अवलोकन से पाया गया कि चाही गई सूचनाये दिये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग, कलेक्ट्रेट, झुंझुनूं अपीलार्थी को 7 दिवस मे निःशुल्क सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 02.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.14 16:51:07 IST
Reason: SelfAttested